संख्या: 25/XXVII(7)द्वि0प्रति0/2009

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन ।

वित्त(वे0आ0-सा0नि0)अनु0-7 देहरादून:दिनांक 17,फरवरी,2009

विषयः-वेतन समिति(2008) के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0जी0 सी0,ए0 आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे की स्वीकृति तथा पेंशन का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतनमानों के पुनरीक्षण विषयक शासनादेश संख्या:वे0आ0-2-1007/दस-17 जी-1998 दिनांक 10 जुलाई 1998, संख्या-वे0आ0-2-1282/दस-17(जी)98 दिनांक 7 अक्टूबर,1998 तथा संख्या:160/वि0 अनु0-3/2001 दिनांक 20 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रदेश की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण एवं शासनादेश संख्या:2363/15-8-98/3004(2)/98 दिनांक 17 अक्टूबर,1998 के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन/ग्रैच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किया गया था ।

2-प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति-2008 के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों के क्रम में

राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक (यू0 जी0 सी0,ए0आई0 सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड–पे उक्त वर्ग के शिक्षण संस्थाओं के उक्त तिथि से वेतनमानों के पुनरीक्षण हेतु समस्त मूलभूत सिद्धान्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से केन्द्र सरकार के कर्मियों के समान संस्तुत प्रतिस्थापित वेतनमानों के अनुसार निर्गत शासनादेश संख्याः 395 /xxvii (7)/2008 दिनांकः17 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही पुनरीक्षित किये जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1–शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों पर व्यय का अनुपात 10:1 से अधिक नहीं रखा जाना चाहिये और इसे और भी कम किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिये ।

2–नेशनल असेसमेंट एण्ड एकरीडिटेशन काउन्सिल(एन0ए0ए0सी0) अथवा अन्य सक्षम एजेन्सी से अनुदानित संस्थाओं का मूल्याकन कराया जाय एवं जो संस्थायें न्यूनतम मानक पूर्ण नहीं करती हैं उन्हें नोटिस दिया जाय और निर्धारित समय अवधि में सुधार परिलक्षित न होने व मानक पूर्ण न होने पर संस्था को अनुदान सूची से हटाये जाने की कार्यवाही की जाय।

3–इन संस्थाओं के सेवानिवृत्त कर्मियों हेतु यदि पूर्व से राज्य सरकार के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से यदि एकरूपता रखी गयी है तो आगे भी एकरूपता रखी जाय।

2–उक्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को उक्तानुसार दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमानों पर मंहगाई भत्ता पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्याः396/xxvii(7)दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही अनुमन्य होगें ।

3–उक्त सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक(यू0जी0 सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0 सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1–1–2006 से पेंशन का पुनरीक्षण राज्य

सरकार के कर्मियों के लिए निर्गत शासनादेश संख्या:419/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 एवं संख्या:421/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 की व्यवस्थानुसार ही किया जाएगा और उक्त पुनरीक्षित पेंशन पर मंहगाई राहत शासनादेश संख्या:420/xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के अनुसार ही अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4—शासनादेश संख्या:395/xxvii(7)/2008, दिनांकः 17अक्टूबर,2008 के प्रस्तर—29 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या:16/xxvii(7)/2008, दिनांकः19जनवरी,2009 के अनुसार अब वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय ऐरियर का 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008—09 में, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10 में तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 में देय आयकर को काटकर कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा, जिसे 3 वर्ष तक निकाला नहीं जा सकेगा, केवल सेवानिवृत्त हो गये कार्मिकों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी, उनको एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा ।

5—दिनांक 1—1—2006 के पूर्व के तथा दिनांक 1—1—2006 अथवा इसके बाद के पेंशनर को पेंशन एवं ग्रैच्युटी आदि के अवशेष के भुगतान के विषय में पूर्व निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्या 419/ xxvii(7)/2008, दिनांकः 27अक्टूबर,2008 के प्रस्तर—12 की व्यवस्था को शासनादेश संख्या 16/xxvii(7)/2009, दिनांकः 19जनवरी,2009 द्वारा संशोधित कर अब भुगतान 40 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2008—09 में,30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2009—10 तथा अवशेष 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2010—11 में किया जाएगा।

6—इस संबंध में पूर्व में निर्गत उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 10 जुलाई,1998,7 अक्टूबर,1998, दिनांक17 अक्टूबर,2008, दिनांक27 अक्टूबर, 2008 एवं दिनाक 19 जनवरी,2009 को उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय और इनके शेष सभी प्राविधान यथावत् रहेगें ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्याः 25(1)/xxvii(7)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7 पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड. ।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड., देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।